न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1275 सन 2021

अनवान :–

1. नगरपालिका नोहर जिला हनुमानगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रहीमबक्स पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर(फोत)
   1/1. हकीमन पत्नी रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/2. आमीन खां पुत्र रहिमबक्स (फोत)
   1/2/1. रजिया पत्नी आमीनखा जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/2/2. मो. अयुब पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/2/3. मकसुद अली पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/2/4 फरजाना पुत्री आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/2/5 शबनम पुत्री आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/3 मोहम्मद युनिस पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/4. मोहसीन खां पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/5 नूरबेगम पुत्री रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/6 अकबर पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/7 बतुल पुत्री रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/8 असगर खु पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/9 असलम खां पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   1/10 कमर हुसैन पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
2. इब्राहिम खां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   2/1 रूबिया पत्नी ईब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   2/2 युसफ पुत्र इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   2/3 आमीना पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   2/4 सकीना पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   2/5 परवीना पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   2/6 समीम पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
   2/7 शकीला बानों पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2/8 खतीता बानों पुत्री ईब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1 रजाक खां पुत्र असरफ खां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1/1 बशीरा पत्नी रजाकखां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1/2 शकीना पुत्री रजाक खां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1/3 जरीना पुत्री रजाक खां पुत्र रूड खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1/4 श्योकत अली पुत्र रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1/5 आजम अली पुत्र रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1/6 रोशन अली पुत्र रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3/1/7 नजमा पुत्री रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

4 नवाब खां पुत्र असरफ खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

5. सफी मोहम्मद पुत्र असरफ खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता वादी
श्री विजयसिह अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/07/25

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की वादी मण्डी विकास समिति , हनुमानगढ का कार्यकारी अधिकारी है जिसका मुख्यालय हनुमानगढ जक्शन में स्थित है विवादित भूमि मण्डी क्षेत्र नोहर की अवासीय सेक्टर न0 5 की भूमि है जो वादी विभाग के क्षेत्राधिकार व अधिपत्य की होने से वादी यह वाद प्रस्तुत करने में सक्षम है

मण्डी क्षेत्र नोहर की राजस्व चक कस्बा नोहर का साबिका खसरा नम्बर 714 तादादी 21.10 बीघा खाम था जो सम्वत 2007 में पडत सरकार अर्थात अकृषि उपयोग की भूमि थी जो वर्तमान में खसरा न0 195 में पैमुद हुआ जिसका कुल रकबा 12.12 बीघा बारानी है सन 1958 में मण्डी की स्थापना हुई व सन 1961 में मण्डी के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हुई व धारा– 4 भूमि अवाप्ति अधि मे साबिका खसरा न0 714 का तादादी 12.16 बीध रकबा मौरूसीदारों प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता रूडखां पुत्र अनवर खां व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता असरफ पुत्र गुलजार खां की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही धारा– 4 में दर्ज होकर मण्डी के लिए अवाप्त हुई इसीप्रकार से रजिस्टर जेर आमद भूमि मण्डी नोहर में यह रकबा मोरूसीदारों की सूची की खाता संख्या 5 पर अवाप्ति में दर्ज हुआ उक्त अवाप्त शुद्धा भूमि व खातेदारान की अन्य मोरूसी भूमि [illegible] मे उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.9.1974 [illegible] बारानी में 32.08 बीघा पुख्ता आवंटन हुआ इसप्रकार प्रश्नगत [illegible] रूप से मण्डी के लिए अवाप्त हुई थी उक्त भूमि पर मण्डी क्षेत्र नोहर के लिए उपनग[illegible]नियोजक विभाग बिकानेर के द्वारा की प्लान ड्राईग नम्बर 63/59 में आवासीय सेक्टर न0 5 आरक्षित किया गया व ड्राईग नम्बर 93/61 के द्वारा विभिन्न आकार के आवासीय भूखण्ड डिजाईन हुऐ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सन 1963 सम्वत 2020 में बन्दोबस्त विभाग ने यह रकबा मण्डी के नाम दर्ज न कर सर्वे खसरा मिलान रजिस्टर व बाद के रिकार्ड में पूर्ववती मोरूसीदार प्रतिवादीगण के पिता के नमा दर्ज रिकार्ड कर दिया गया जो कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा मण्डी को बिना सुने ही उक्त भूमि का इन्द्राज किये है बन्दोबस्त विभाग के द्वारा यह इन्द्राज लिपिकीय भूल अज्ञानवशं किया है उक्त इन्द्राजात को विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नही है व मसूख किये जाने के काबिल है।

प्रश्नगत भूमि मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ के अधिकार क्षेत्र व अधिपत्य की भूमि है व उक्त भूमि के मौरूसीदार रूडखां आदि ने इस रकबा सहित अन्य रकबा लगभग 55–1/3 बीघा खाम का तबादला चक 6 बारानी के इन्तकाल संख्या 29 के द्वारा प0न0 305/413 के किला न0 16/0.18 ,17 ता 19/3.00 ,21 ता 24/4.00 , 25/0.18 ,प0न0 305/414 किला न0 2 ता 4/3.00 बीघा 5/0.18 , 6 ता 14/9.00 ,15 ,16/1.16 ष17 ता 24/8.00 ,25/.18 कुल 32.08 बीघा भूमि आंवटन हुई थी जो कि आज दिनांक अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है उक्त तबादला उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 द्वारा स्वीकृत शुद्वा है

विवादित भूमि खसरा नम्बर 195 मण्डी क्षेत्र नोहर की प्लाण्ड भूमि का भाग है जिसमें आवासीय सेक्टर 5 डिजाईन्ड है व विभिन्न प्रकार के भूखण्ड डिजाईन हुए है उक्त भूखण्ड को मण्डी के द्वारा समय–समय पर आम निलामी मे विक्रय किये जाते है जिससे मण्डी के लगभग 1 करोड रूपये की आय प्राप्त हुई है उक्त भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर भूखण्ड धारियों के नाम रजिस्टरी होकर मकानात आदि बन चुके है तथा उक्त सैक्टर में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय व आवास परिसर का निर्माण पूर्ण होने वाला है

विवादित भूमि खसरा नम्बर 195 की 12.12 बीघा भूमि जो कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता पूर्व मोरूसीदार रूडखां आदि के नाम से अंकन की गई है जो कि गलत है उक्त भूमि मण्डी विभाग की गैर मुमकिन श्रेणी की भूमि दर्ज होनी थी जो कि प्रबन्ध विभाग द्वारा अंकन नही किया गया व मण्डी को बिना सुने ही यह अंकन किया गया है विवादित खसरा नम्बर 195 की 12.12 बीघा भूमि भू0प्रबन्ध विभाग ने सम्वत 2020 में भुलवंश राजस्व अभिलेख में पूर्व मौरूसीदारों के नाम दर्ज किया गया है मण्डी के लिये अवाप्त भूमि का तबादला भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज रूडखां आदि ने प्राप्त कर लिया है उक्त भूमि पर मण्डी का मालकाना हक है।

विवादित खसरा नम्बर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता रूडखां आदि के नाम गलत तौर से दर्ज चला आ रहा है जिसे हटाया जाना आवश्यक है क्योकि उक्त गलत प्रविष्टि के मौजूद रहने से प्रतिवादीगण भूमि को खूर्द बूर्द कर सकते है जिससे मण्डी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड सकता है उक्त भूमि मण्डी क्षेत्र की होने से काबिल काश्त नही है मण्डी विकास समिति की भूमि है

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 195 की कुल 12.12 बीघा भूमि वादी विभाग की गैर मुमकिन मण्डी की भूमि घोषित की जाकर मण्डी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण की और से जयलाल कडवासरा अधिवक्ता उपस्थित आये वाद में विधिवत सुनवाई आरम्भ की गई वाद मे प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 डी सीपीसी प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.03.2004 को प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मण्डी विकास समिति के स्थान पर नगर पालिका नोहर को पक्षकार बनाया गया। उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर पारित निर्णय दिनांक 23.03.2004 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 04.07.2018 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर का निर्णय दिनांक 23.03.2004 यथावत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रखते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया की उभयपक्षों से साक्ष्य लिये जाकर अधिकतम 6 माह में प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

माननीय राजस्व मण्डल से प्रकरण रिमाण्ड होने पर इस कार्यालय को प्राप्त होने पर सहवन से रिकार्ड रूम में जमा करवा दिया गया प्रार्थी /प्रतिवादी के निवेदन पर प्रकरण उपअभिलेखागार से तलब कर विधिवत सुनवाई हेतु दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों की सुनवाई आरम्भ की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को सुनवाई हेतु नोटिस/सम्मन जारी किये गये वादी की और से अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नोहर जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 ,1/2 ,1/2/1 ,1/2/4 ,1/2/5 ,1/5 ,1/7 ,1/9 ,2/1 ,2/2 से 2/8 3/1 ,3/1/1/3 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई फर्द अहकाम दिनांक 31.03.2022 के अनुसार प्रतिवादीगण की और से श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता उपस्थित आये 4 ,5 की और विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता उपस्थित आये ।

प्रतिवादी संख्या 1/2/2 ,मो अयुब 1/2/3 मकसुद अली , 1/3 मोहम्मद यूनिस 1/4 मोहसीन 1/6 अकबर ,1/8 असगरखां 1/10 कमर हुसैन , 2/2 युसफ 3/1/4 श्योकत अली 3/1/5 आजम अली 3/1/6 रोशनी प्रतिवादी संख्या 4 नबाब , 5 सफी मोहम्मद ने वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि को अवाप्त नही किया गया था ना ही अवाप्ति के बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीधा भूमि तबादले में प्रतिवादीगण या उसके पूर्वजों को दी गई हो खसरा संख्या 195 की 12.12 बीधा भूमि रूड खां पुत्र अनवर खा , अशरफ खान पुत्र गुलजार खान की खातेदारी सम्वत 1985 से लेकर 2077 तक भी दर्ज है एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2033 से 2038 से पहले अथवा उसके बाद किसी भी जमाबन्दी , गिरदावरी में मिसल बन्दोबस्त आदि राजस्व रिकार्ड में तबादला बाबत कोई नोट अंकित नही किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी को खसरा नम्बर 195 को अवाप्त की जाने एवं उसके बदले में तबादलें में अन्य कोई भूमि दी गई हो।

विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में होकर उनके कब्जे काश्त की भूमि है वादी का विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिपत्य नही रहा है ना ही वर्तमान में है वाद भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि को मण्डी विकास समिति द्वारा अवाप्त नही किया गया है ना ही कब्जा मण्डी समिति के पास रहा है बल्कि हमेशा से प्रतिवादी व उसके पूर्वजो के पास रहा है वर्तमान में भी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी ने विवादित भूमि पर अपना कोई हक व स्वामित्व व अधिपत्य साबित नही किया है।

वादी द्वारा तथ्यों को तोड मरोडकर पेश किया गया है वास्तविकता यह है कि खसरा संख्या 194 ग्राम नोहर की 54.09 बीधा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्व हिताधारी /पूर्वज अनवर खान , गुलजार खान व उसके बाद रूड खां इत्यादि के नाम दर्ज थी यह भूमि मिसल बन्दोस्त में आबादी बासीदागण मकबूजा क्षेत्र में दर्ज कर ली गई इस भूमि की एवज में मिसल बन्दोबस्त विभाग ने दिनांक 13.19.1974 को चक 6 बारानी भूमि में ईन्तकाल संख्या 29 के जरिये 32.08 बीधा भूमि आबादी तबादल भूमि दर्ज है खसरा नम्बर 195 की भूमि में न तो कभी मण्डी विकास समिति के लिए [illegible] गई ना ही इस भूमि का भौतिक कब्जा मण्डी विकास समिति द्वारा [illegible] भूमि बाबत कोई तबादला नही किया गया है इस बाबत तहसीलदार [illegible] जाने पर पत्रावली उपलब्ध नही होना जाहिर किया गया है खसरा नम्बर 195 की भूमि से महरूम रखने पर आमाद है जो कि असवकार्य है यह भूमि मण्डी समिति की थी ही नही तो प्लान तैयार करने या भूखण्ड डिजाईन तीयर करने का प्रश्न ही नही है यह भूमि कभी भी वादी के कब्जे में नही रही है विवादित भूमि कभी अवाप्त नही हुई है न ही इस भूमि का प्रतिवादी को तबादला दिया गया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से पूर्व से ही वाद भूमि प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पूर्वजों के कब्जा काश्त में चली आ रही है पूर्व का इन्द्राज बदला नही जा सकता है उक्त रकबा कभी भी वादी के नाम दर्ज नही किया गया था जिसका ज्ञान वादी को बखूबी था सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज की गयी प्रविष्टि सही उचित एव विधिसम्मत है जिसे लिपिकीय भूल नही कहा जा सकता है

वादी द्वारा पेश किया गया वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के द्वारा 88 ,188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जाना अंकित किया है जो वादी द्वारा पेश नही किया जा सकता है क्योंकि यह धारा कृषि भूमि के अहिकारों की घोषणा हेतु कृषक द्वारा वाद पेश कर प्रविधित करती है न की किसी विभाग द्वारा कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित करवाने बाबत वाद न तो कृषक है ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) की परिभाषा में कृषक हो सकता है इसलिये ना तो वादी यह वाद पेश कर सकता है और ना ही ऐसे अनुतोष माननीय न्यायालय को प्रदान करने का अधिकार है वाद वादी कानूनन बार्ड वाई लॉ है अतः वादी का वाद पोषणीय नही है इसी आधार पर खारिज फरमाया जावे।

वादी ने अपने वाद में कोई वाद कारण तक अंकित नही किया है इसलिये वादी को यह वाद लाने का कोई अधिकार या कॉज ऑफ एक्शन नही है वादी का वाद मेन्टेवल नही है।

साबिका खसरा न0 714 की भूमि के बदले प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता/पूर्वजों को कही पर भी तबादलें में भूमि नही दी गई है एव वादी द्वारा इस सम्बध में झठे कथन करके माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी नोहर से बार बार खसरा न0 195 व 196 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपी मांगने पर रिकार्ड नही होने का हवाला देकर प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है।

उपलब्ध रिकार्ड के द्वारा खसरा न0 195 के बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीधा भूमि दिया जाना कही पर भी साबित नही हे वस्तुतः वादी उक्त तथाकथित तबादलें के कपोलकप्पित आधार पर प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारों का हनन करते उसकी बैध खातेदारी भूमि को हडपना चाहते है।

प्रतिवादीगण की खसरा नम्बर 196 की भूमि के बाबत भी वाद संख्या 89/98 दायर किया गया जो कि माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 17.07.1998 को खारिज कर यिा गया जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश हुई जिसमें निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2008 को जरिये दावा डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण के पिता को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

वाद में मण्डी समिति द्वारा खसरा न0 196 के बदले चक 6 बारानी में तबादले में भूमि दिया जाना बताया गया परन्तु इस कथनों के समर्थन में कोई युक्तियुक्त ठोस सक्ष्य पेश नही किया गया निर्णय दिनांक 30.05.2008 के विरूद्व राज्य सरकार तथा नगर पालिका के दोनो के द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहा दायर की हुई है जो वर्तमान मे लम्बित है।

खसरा न0 191/235 के खातेदारान द्वारा खातेदारी हकुक बाबत राजस्थान सरकार के विरूद्व वाद दायर किया गया था जो कि उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 07.01.1998 रो खारिज किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे हुई जिसका निर्णय दिनांक [illegible] स्वीकार करते हुए वादी बृजबिहारी व अन्य का दावा स्वीकार कर लिया उस [illegible] मामला राजस्व मण्डल के समक्ष पहुंचा जहॉं राजस्व मण्डल ने अ[illegible] 1998 को बहाल रखा राज्य सरकार ने इसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर की गई जो कि दिनांक 25.11.2005 को खारिज कर दी गइ इस प्र[illegible] रो खसरा न0 191/235 की भूमि खातेदारों के नाम दर्ज है व अपने जवाब दावा के समर्थन मे दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल किये गये वादी का वाद निराधार होने के कारण खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता रूडखा पुत्र अनवरखां व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता असरफ खा पुत्र गुलजार ख की साबिका खसरा न0 194 की 54.09 बीधा भूमि अवाप्त की गई जिसके बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीधा पुख्ता आवंटन हुई जो आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09. 1974 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा हुई जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 29 आबादी तबादला दर्ज है मगर साबिका खसरा न0 714 की 21.10 बीधा खाम जो वर्तमान में खसरा न0 195 के नम्बर मे पैमुद हुआ जिसका कुल रकबा 12.12 बीधा बारानी क्षेत्र का है सन 1958 में मण्डी स्थापना हुई व सन 1961 मे मण्डी के लिये अवाप्ति की कार्यवाही हुई इसके सम्बध में दस्तावेज उपलब्ध नही होने की सुरत मे स्पष्ट जबाब नही दिया जा सकता है वादी इस मद को स्वय सिद्व करे , खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति हनुमानगढ को अवाप्त करके मण्डी को दी गई के सम्बध दस्तावेज उपलब्ध नही होने की सुरत में स्थिति स्पष्ट नही हे यह मण्डी को मिली या नही मिली है ऐसी स्थिति में स्पष्ट नही किया जा सकता है वादी स्वय साबित करे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 के द्वारा साबिका खसरा न0 194 की कुल 54.09 बीधा भूमि के बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीधा भूमि प्रतिवादीगण को तबादलें में मिलने की हद तक स्वीकार है किन्तु प्रश्नगत भूमि खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि मण्डी अवाप्त हुई हो के सम्बध में रिकार्ड उपलब्ध नही होने की सुरत में स्वीकार नही है वादी स्वय साबित करे प्रश्नगत भूमि 195 की 12.12 बीधा वर्तमान रकिार्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडखां आदि के नाम से खातेदारी दर्ज है और लगातार उनका कब्जा उनके जीवनकाल में रहा है तथा उनके फोत होने पर उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा मौके पर मण्डी समिति या स्थानीय निकाय नगर पालिका नोहर द्वारा कोई प्लाट नही काटे गये है

<u>वादी के वाद एव प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीयात कायम की गई।</u>

1. आया कि विवादित भूमि रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा नम्बर 195 की कुल 12. 12 बीधा भूमि वादी विभाग की गैर मुमकिन मण्डी के नाम घोषित कर रिकार्ड में दर्ज करने की डिक्री जारी करवा पाने का अधिकारी है।? वादी
2. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि को रहन बेय नही करे व ना ही किसी प्रकार के इकरारनामें या लिखा पढी करे
3. आया कि वादी द्वारा पेश किया गया वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के द्वारा 88 ,188 के अन्तर्गत पेश किया जाना अंकित किया गया है जो वादी द्वारा पेश नही किया जा सकता है क्योकि धारा कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा हेतु कृषक द्वारा वाद पेश करना प्राविधित करती है न की किसी विभाग द्वारा कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित करवाने बाबत वादी ना तो कृषक है ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिकनयम की धारा 5(43) की परिभाषा में कृषक है ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धरा 5(43) की परिभाषा में कृषक हो सकता है इसलिये ना ही वादी यह वाद पेश कर सकता है और ना ही ऐसे अनुतोष माननीय न्यायालय से प्रदान करने का अधिकार है वाद कानूनन विधि द्वारा वर्जित है तथा वाद वादी पोषर्णीय नही है इसका वाद पर क्या असर है ।? प्रतिवादीगण
4. आया वादी ने अपने [illegible] अंकित नही किया है इसलिये वादी को दावा लाने का कोई अधिकार नही [illegible] ऑफ एक्शन नही है इसका वाद पर क्या असर है ।? प्रतिवादीगण
5. आया कि साबिका खसरा न0 714 [illegible] भूमि के बदले में प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता पूर्वजों को कही पर भी तबादले में भूमि नही दी गई है तथा उपलब्ध रिकार्ड द्वारा खसरा न0 195 की बदले में चक 8 बारानी की 32.08 बीधा भूमि दिया जाना कही पर भी साबित नही है वस्तुत वादी उक्त तथाकथित तबादले के कपोल काल्पित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आधार पर प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारो का हनन करते उसकी बेध खातेदारी भूमि का हडपना चाहते है इसका वाद पर क्या असर है।? प्रतिवादीगण

6. आया वादी किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही हे तथा वाद वादी वाद इश्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा संधारण योग्य नही है इसका वाद पर क्या असर है । प्रतिवादीगण

7. आया प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 195 की 12.12 बीधा वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादीगण रूडखां आदि के नाम से खातेदारी दर्ज है और लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा मण्डी समिति या स्थानीय निकाय नगरपालिका नोहर द्वारा कोई प्लाट नही काटे हुये है इसका वाद पर क्या असर है ।? प्रतिवादीगण

8. आया श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 के द्वारा सबिका खसरा न0 194 की कुल 54.9 बीधा भूमि के बदले मे चक 6 बारानी में कुल 32.08 बीधा भूमि प्रतिवादीगण को तबादलें में मिलने की हद तक स्वीकार जो इन्तकाल संख्या 29 आबादी तबादलें दर्ज है किन्तु प्रश्नगत भूमि साबिका खसरा न0 714 की 21.10 बीधा भूमि हाल खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि मण्डी विकास समिति को अवाप्त हुई है के सम्बध में रिकार्ड उपलब्ध नही होने की सुरत में इस भूमि का बाबत दावा लाने का कोई लोटस स्टेण्डाई हासिल नही है इसका वाद पर क्या असर है । प्रतिवादीगण

9. दादरसी

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादीगण करवाई गई और साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्यवादी बन्द किये जाकर साक्ष्य प्रतिवादीगण लिये गये साक्ष्य प्रतिवादी में मौसीन खा ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह वादी अधिवक्ता ने की गई और साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकि तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रश्नगत स्थल का स्वामित्व पूर्व में भाखडा मण्डी समिति हनुमानगढ में निहित था जिसे अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर 2002 को नगर पालिका नोहर को हस्तान्तरित किया गया है गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है इसलिये प्रश्नगत भूमि बाबत समस्त प्रकार की हक न्हकूल मन वादी को हासिल है

मण्डी क्षेत्र नोहर की राजस्व चक कस्बा नोहर का साबिका खसरा नम्बर 714 तादादी 21.10 बीधा खाम था जो सम्वत 2007 में पडत सरकार अर्थात अकृषि उपयोग की भूमि थी जो वर्तमान में खसरा न0 195 में पैमुद हुआ जिसका कुल रकबा 12.12 बीधा बारानी है सन 1958 में मण्डी की स्थापना हुई व सन 1961 में मण्डी के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हुई व धारा– 4 भूमि अवाप्ति अधि में साबिका खसरा न0 714 का तादादी 12.12 बीध रकबा मौरूसीदारों प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पिता रूडखां पुत्र अनवर खां व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता असरफ पुत्र गुलजार खां की भूमि आवटित थी उक्त कार्यवाही धारा 5 दर्ज होकर मण्डी के लिये आवंटन हुई इसीप्रकार से रजिस्टर जेर आमद भूमि मण्डी नोहर में यह रकबा मोरूसीदारों की सूची की खाता संख्या 5 पर अवाप्ति में दर्ज हुआ उक्त अवाप्त शुद्वा भूमि व खातेदारान की अन्य मोरूसी भूमि के बदले में उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.9.1974 द्वारा तबादला भूमि चक 6 बारानी में 32.08 बीधा पुख्ता आवंटन हुआ इसप्रकार प्रश्नगत भूमि [illegible] से मण्डी के लिए अवाप्त हुई थी उक्त भूमि पर मण्डी क्षेत्र नोहर [illegible] विभाग बिकानेर के द्वारा की प्लान ड्राईग नम्बर 63 / 59 में आवासीय [illegible] आरक्षित किया गया व ड्राईग नम्बर 93 / 61 के द्वारा विभिन्न आकार के आवासीय भूखण्ड [illegible]जाईन हुऐ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

सन 1963 सम्वत 2020 में बन्दोबस्त विभाग ने यह रकबा मण्डी के नाम दर्ज न कर सर्वे खसरा मिलान रजिस्टर व बाद के रिकार्ड में पूर्ववती मोरूसीदार प्रतिवादीगण के पिता के नमा दर्ज रिकार्ड कर दिया गया जो कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा मण्डी को बिना सुने ही उक्त भूमि का इन्द्राज किये है बन्दोबस्त विभाग के द्वारा यह इन्द्राज लिपिकीय भूल

अज्ञानवशं किया है उक्त इन्द्राजात को विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व नही है व मसूख किये जाने के काबिल है।

प्रश्नगत भूमि मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ के अधिकार क्षेत्र व अधिपत्य की भूमि है व उक्त भूमि के मौरूसीदार रूडखां आदि ने इस रकबा सहित अन्य रकबा लगभग 55–1/3 बीधा खाम का तबादला चक 6 बारानी के इन्तकाल संख्या 29 के द्वारा प0न0 305/413 के किला न0 16/0.18 ,17 ता 19/3.00 ,21 ता 24/4.00 , 25/0.18 ,प0न0 305/414 किला न0 2 ता 4/3.00 बीधा 5/0.18 , 6 ता 14/9.00 ,15 ,16/1.16 ब17 ता 24/8.00 ,25/.18 कुल 32.08 बीधा भूमि आंवटन हुई थी जो कि आज दिनांक अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है उक्त तबादला उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 द्वारा स्वीकृत शुद्वा है

विवादित भूमि खसरा नम्बर 195 मण्उी क्षेत्र नोहर की प्लाण्ड भूमि का भाग है जिसमें आवासीय सेक्टर 5 डिजाईन्ड है व विभिन्न प्रकार के भूखण्ड डिजाईन हुए है उक्त भूखण्ड को मण्डी के द्वारा समय–समय पर आम निलामी मे विक्रय किये जाते है जिससे मण्डी के लगभग 1 करोड रूपये की आय प्राप्त हुई है उक्त भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर भूखण्ड धारियों के नाम रजिस्टरी होकर मकानात आदि बन चुके है तथा उक्त सैक्टर में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय व आवास परिसर का निर्माण पूर्ण होने वाला है

विवादित भूमि खसरा नम्बर 195 की 12.12 बीधा भूमि जो कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता पूर्व मोरूसीदार रूडखां आदि के नाम से अंकन की गई है जो कि गलत है उक्त भूमि मण्डी विभाग की गैर मुमकिन श्रेणी की भूमि दर्ज होनी थी जो कि प्रबन्ध विभाग द्वारा अंकन नही किया गया व मण्डी को बिना सुने ही यह अंकन किया गया है विवादित खसरा नम्बर 195 की 12.12 बीधा भूमि भू0प्रबन्ध विभाग ने सम्बत 2020 में भुलवंश राजस्व अभिलेख में पूर्व मौरूसीदारों के नाम दर्ज किया गया है मण्डी के लिये अवाप्त भूमि का तबादला भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पूर्वज रूडखां आदि ने प्राप्त कर लिया है उक्त भूमि पर मण्डी का मालकाना हक है।

विवादित भूमि खसरा न0 195 की भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता रूडखां आदि के नाम गलत तौर से दर्ज चली आ रही है जिसको हटाया जाना आवश्यक है गलत अंकन के आधार पर भूमि खूर्द बूर्द की जा सकती है जिससे नगरपालिका नोहर को भारी नुकसान हो सकता है खसरा न0 195 की भूमि राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज हुआ है को कलमजन करवातें हुए इस खसरा को मन वादी कार्यालय के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे

श्रीमान तहसीलदार भू0अ0 नोहर के पत्रांक एस.पी.–1 दिनांक 06.03.2002 द्वारा श्रीमान अतिरिक्त कल्क्टर एवं सचिव महोदय मण्डी विकास समिति हनुमानगढ द्वारा मण्डी स्कीम में आये रकबे के बदले तबादला दिये जाने की सूचना भिजवाई गई थी इस पत्र के अतिम पैरा में इस बाश्य का अंकिन है कि रूडखां वल्द अनवर खां को साबिका खसरा न0 713 व अन्य खसरान 238 ,714 कुल 35.03 बीधा का तबादला चक 6 बारानी पटवारी हल्का भूकरका बी मु0न0 364 में जरिये इन्तकाल संख्या 29 बहुकम उप जिलाधीश नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 के द्वारा तबादला दिया जा चुका है

अत: वाद प्रस्तुत कर निवेदन है रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 195 की कुल 12.12 बीधा भूमि वादी विभाग की गैर मुमकिन मण्डी की भूमि घोषित की जाकर मण्डी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार राज ने अपनी बहस में [illegible] जवाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] पुत्र अनवरखां व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता असरफ खा पुत्र गुलजार खा की साबिका खसरा न0 194 की 54.09 बीधा भूमि अवाप्त की गई जिसके बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीधा पुख्ता आवंटन हुई जो आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा हुई जिसकी पालना में इन्तकाल संख्या 29 आबादी तबादला दर्ज है मगर साबिका खसरा न0 714 की 21.10 बीधा खाम जो वर्तमान में खसरा न0 195 के नम्बर मे पैमुद हुआ जिसका कुल रकबा

12.12 बीघा बारानी क्षेत्र का है सन 1958 में मण्डी स्थापना हुई व सन 1961 में मण्डी के लिये अवाप्ति की कार्यवाही हुई इसके सम्बध में दस्तावेज उपलब्ध नही होने की सुरत में स्पष्ट जबाब नही दिया जा सकता है वादी इस मद को स्वय सिद्व करे , खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति हनुमानगढ को अवाप्त करके मण्डी को दी गई के सम्बध दस्तावेज उपलब्ध नही होने की सुरत में स्थिति स्पष्ट नही हे यह मण्डी को मिली या नही मिली है ऐसी स्थिति में स्पष्ट नही किया जा सकता है वादी स्वय साबित करे श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 के द्वारा साबिका चासरा न0 194 की कुल 54.09 बीघा भूमि के बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीघा भूमि प्रतिवादीगण को तबादलें में मिलने की हद तक स्वीकार हे किन्तु प्रश्नगत भूमि खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि मण्डी अवाप्त हुई हो के सम्बध में रिकार्ड उपलब्ध नही होने की सुरत में स्वीकार नही हे वादी स्वय साबित करे प्रश्नगत भूमि 195 की 12.12 बीघा वर्तमान रकिार्ड में प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडखां आदि के नाम से खातेदारी दर्ज है और लगातार उनका कब्जा उनके जीवनकाल में रहा है तथा उनके फोत होने पर उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा मौके पर मण्डी समिति या स्थानीय निकाय नगर पालिका नोहर द्वारा कोई प्लाट नही काटे गये है

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाव में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि को अवाप्त नही किया गया था ना ही अवाप्ति के बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीघा भूमि तबादले में प्रतिवादीगण या उसके पूर्वजों को दी गई हो खसरा संख्या 195 की 12.12 बीघा भूमि रूड खां पुत्र अनवर खा , अशरफ खान पुत्र गुलजार खान की खातेदारी सम्वत 1985 से लेकर 2077 तक भी दर्ज है एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2033 से 2038 से पहले अथवा उसके बाद किसी भी जमाबन्दी , गिरदावरी में मिसल बन्दोबस्त आदि राजस्व रिकार्ड में तबादला बाबत कोई नोट अंकित नही किया हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी को खसरा नम्बर 195 को अवाप्त की जाने एवं उसके बदले में तबादलें में अन्य कोई भूमि दी गई हो।

विवादित भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में होकर उनके कब्जे काश्त की भूमि है वादी का विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिपत्य नही रहा है ना ही वर्तमान में है वाद भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि को मण्डी विकास समिति द्वारा अवाप्त नही किया गया है ना ही कब्जा मण्डी समिति के पास रहा है बल्कि हमेशा से प्रतिवादी व उसके पूर्वजो के पास रहा है वर्तमान में भी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी ने विवादित भूमि पर अपना कोई हक व स्वामित्व व अधिपत्य साबित नही किया है।

वादी द्वारा तथ्यों को तोड मरोडकर पेश किया गया है वास्तविकता यह है कि खसरा संख्या 194 ग्राम नोहर की 54.09 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्व हिताधारी /पूर्वज अनवर खान , गुलजार खान व उसके बाद रूड खां इत्यादि के नाम दर्ज थी यह भूमि मिसल बन्दोस्त में आबादी बासीदागण मकबूजा क्षेत्र में दर्ज कर ली गई इस भूमि की एवज में मिसल बन्दोबस्त विभाग ने दिनांक 13.19.1974 को चक 6 बारानी भूमि में ईन्तकाल संख्या 29 के जरिये 32.08 बीघा भूमि आबादी तबादल भूमि दर्ज है खसरा नम्बर 195 की भूमि में न तो कभी मण्डी विकास समिति के लिए अवाप्त की गई ना ही इस भूमि का भौतिक कब्जा मण्डी विकास समिति द्वारा लिया गया तथा इस भूमि बाबत कोई तबादला नही किया गया है इस बाबत तहसीलदार नोहर से पत्रावली मांगे जाने पर पत्रावली उपलब्ध नही होना जाहिर किया गया है खसरा नम्बर 195 ... से महरूम रखने पर आमाद है जो कि अरबकार्य है यह भूमि मण्डी ... तैयार करने या भूखण्ड डिजाईन तौयर करने का ... भूमि कभी भी वादी के कब्ज में नही रही है विवादित भूमि कभी अवाप्त नही हुई है न ही ... भूमि का प्रतिवादी को तबादला दिया गया है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से पूर्व से ही वाद भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों के कब्जा काश्त में चली आ रही है पूर्व का इन्द्राज बदला नही जा सकता है उक्त रकबा कभी भी वादी के नाम दर्ज नही किया गया था जिसका ज्ञान वादी को बखूबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gahlwat
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

था सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज की गयी प्रविष्टि सही उचित एव विधिसम्मत है जिसे लिपिकीय भूल नही कहा जा सकता है

वादी द्वारा पेश किया गया वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के द्वारा 88 ,188 के अन्तर्गत वाद पेश किया जाना अंकित किया है जो वादी द्वारा पेश नही किया जा सकता है क्योकि यह धारा कृषि भूमि के अहिकारों की घोषणा हेतु कृषक द्वारा वाद पेश कर प्रविधित करती है न की किसी विभाग द्वारा कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित करवाने बावत वाद न तो कृषक है ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) की परिभाषा में कृषक हो सकता है इसलिये ना तो वादी यह वाद पेश कर सकता है और ना ही ऐसे अनुतोष माननीय न्यायालय को प्रदान करने का अधिकार है बाद वादी कानूनन बार्ड बाई लॉ है अतः वादी का वाद पोषणीय नही है इसी आधार पर खारिज फरमाया जावे।

वादी ने अपने बाद में कोई वाद कारण तक अंकित नही किया है इसलिये वादी को यह वाद लाने का कोई अधिकार या कॉज ऑफ एक्शन नही है वादी का बाद मेन्टेवल नही है।

साबिका खसरा न0 714 की भूमि के बदले प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता/पूर्वजों को कही पर भी तबादलें में भूमि नही दी गई है एव वादी द्वारा इस सम्बध में झठे कथन करके माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी नोहर से बार बार खसरा न0 195 व 196 की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपी मांगने पर रिकार्ड नही होने का हवाला देकर प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है।

उपलब्ध रिकार्ड के द्वारा खसरा न0 195 के बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीधा भूमि दिया जाना कही पर भी साबित नही हे वस्तुतः वादी उक्त तथाकथित तबादलें के कपोलकल्पित आधार पर प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारों का हनन करते उसकी वैध खातेदारी भूमि को हडपना चाहते है।

प्रतिवादीगण की खसरा नम्बर 196 की भूमि के बाबत भी वाद संख्या 89/98 दायर किया गया जो कि माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 17.07. 1998 को खारिज कर दिया गया जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष पेश हुई जिसमें निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.2008 को जरिये दावा डिक्री करते हुए प्रतिवादीगण के पिता को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

बाद में मण्डी समिति द्वारा खसरा न0 196 के बदले चक 6 बारानी में तबादले में भूमि दिया जाना बताया गया परन्तु इस कथनों के समर्थन मे कोई युक्तियुक्त ठोस सक्ष्य पेश नही किया गया निर्णय दिनांक 30.05.2008 के विरूद्व राज्य सरकार तथा नगर पालिका के दोनो के द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहा दायर की हुई है जो वर्तमान मे लम्बित है।

खसरा न0 191/235 के खातेदारान द्वारा खातेदारी हक्कुक बाबत राजस्थान सरकार के विरूद्व वाद दायर किया गया था जो कि उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा निर्णय दिनांक 07.01.1998 से खारिज किया गया जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ मे हुई जिसका निर्णय दिनांक 03.02.1998 को अपील स्वीकार करते हुए वादी बृजबिहारी व अन्य का दावा स्वीकार कर लिया उसके पश्चात मामला राजस्व मण्डल के समक्ष पहुचा जहॉं राजस्व मण्डल ने अपने [illegible] को बहाल रखा राज्य सरकार ने इसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में [illegible] याचिका दायर की गई जो कि दिनांक 25.11.2005 को खारिज कर [illegible] 191/235 की भूमि खातेदारों के नाम दर्ज है व अपने जवाब दावा के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल किये गये वादी का वाद निराधार होने के कारण खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तनकी न0 1:— आया कि विवादित भूमि रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा नम्बर 195 की कुल 12.12 बीघा भूमि वादी विभाग की गैर मुमकिन मण्डी के नाम घोषित कर रिकार्ड में दर्ज करने की डिक्री जारी करवा पाने का अधिकारी है।?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल गिरदावरी ग्राम कस्बा नोहर सम्वत 2006 ता 2010 नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा नोहर 2009 से 2012, जमाबन्दी पडत सरकार सम्वत 2009 से 2012, नकल चित्रप्रतिलिपी खसरा ग्राम कस्बा नोहर सम्वत 2020 , नकल चित्रप्रति बन्दोबस्त भूप्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 से 2038 , नकल पर्चा खतौनी चक 1 एनएचआर बी आदि पेश किये गये

वादी का कथन है कि मण्डी विकास समिति की स्थापना होने पर मण्डी विकास के लिये भूमि की आवश्यकता होने पर भूमि अवाप्त की गई थी जिसमें अन्य भूमियो के साथ वाद भूमि को भी अवाप्त किया गया था किन्तु सहवन से भू0प्रबन्ध विभाग ने अवाप्त की गई वाद भूमि को मण्डी के नाम दर्ज करने के स्थान पर प्रतिवादीगण के पूर्वज रूडखां के नाम दर्ज कर दी गई जबकि मण्डी में अवाप्त भूमि के बदले में चक 6 बारानी में भूमि दी जा चुकी थी पुनः भूमि पाने का अधिकारी नही है।

प्रतिवादीगण को कथन है उनके पूर्वजों की भूमि को कभी भी मण्डी के द्वारा अवाप्त नही किया गया था अन्य भूमियों को मण्डी के लिये अवाप्त किया गया था वाद भूमि को मण्डी समिति विकास के लिये अवाप्त नही किया गया था ना ही किसी प्रकार का तबादला दिया गया था ना ही सम्बध में वादी ने कोई साक्ष्य पेश किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि मण्डी के लिये अवाप्त की गई हो और उसके बदले में चक 6 बारानी में भूमि दी गई हो मात्र कथन है कथनों के आधार पर वादी किसी प्रकार से प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पाने का अधिकारी नही है।

वादी का कथन है कि कस्बा नोहर के साबिका खसर न0 714 तादादी 21.10 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम सम्वत 2007 में दर्ज थी जो वर्तमान खसरा न0 195 मे पैमुद हुए है खसरा न0 714 हाल खसरा न0 195 की 12.12 बीघा में पैमुद हुआ है जो प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिसे मण्डी विकास समिति के लिये अवाप्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1971 द्वारा चक 6 बारानी में 32.08 बीधा भूमि आवंटन की गई थी वादी ने अपने कथनों के समर्थन में इन्तकाल की प्रति पेश की गई है।

वादी का उक्त कथन साक्ष्यों के अभाव में स्वीकार योग्य नही है प्रतिवादीगण के पिता रूडखां आदि के पास वाद भूमि के अलावा अन्य भूमिया भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पुर्व से ही कब्जा काश्त में चली आ रही थी प्रतिवादीगण के पिता रूड खा व असरफ खा पुत्र गुलजार खा के साबिका खसरा न0 194 की 54.09 बीधा भूमि कब्जा काश्त में थी जिसे मण्डी विकास समिति के द्वारा अवाप्त किया गया था जिसके बदले में चक 6 बारानी की 32.08 बीधा भूमि बदले में पुख्ता आवटन की गई थी जिसका उपखण्ड अधिकारी नोहर के द्वारा आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में मण्डी के नाम दर्ज किया गया था मगर साबिका खसरा न0 195 जिसका कुल रकबा 12.12 बीधा है को सन 1958 मे मण्डी की स्थापना के लिये अवाप्त किया गया है या अवाप्त की कार्यवाही की गई है के सम्बध में वादी ने कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे साबित हो सके की खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि को मण्डी के लिये अवाप्त किया गया हो या तबादला में भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों [illegible] हुई हो।

वादी ने ऐसा कोई [illegible] पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की साबिका खसरा न0 [illegible] 195 की 12.12 बीधा भूमि को मण्डी विकास समिति के लिये अवाप्त किया गया था [illegible] उसके बदले में चक 6 बारानी में भूमि दी गई हो मात्र कथन किये गये है किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है मात्र कथनो के आधार पर किसी काश्तकार के खातेदारी अधिकार समाप्त नही किये जा सकते है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

हाँ यह सही है कि मण्डी विकास समिति से मण्डी विकास के लिये भूमि अवाप्त की गई थी जिस पर मण्डी ने प्लाट/सडक आदि का निर्माण किया जाकर बेचान भी किया गया था जिसके सम्बध में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का ऐतराज नही है जिसके साक्ष्य भी पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि मण्डी के लिये अवाप्त किया गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है तथा ना ही उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण है वाद भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

तनकी न0 1 साक्ष्य सबुतों के अभाव में वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 2 आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि को रहन बेय नही करे व ना ही किसी प्रकार के इकरारनामें या लिखा पढी करे।

इस तनकी को साबिक करने का भार वादी पर था तनकी न0 1 में विवेचन किया जा चुका है कि मण्डी विकास समिति साबिका खसरा न0 714 हाल खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि को अवाप्त किया गया था के सम्बध में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे उक्त भूमि मण्डी के लिये अवाप्त की जानी साबित हो और तबादले में भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों को दिया जा चुका हो पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है ना ही वादी के द्वारा पेश किया गया जिससे वाद भूमि खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि को मण्डी के लिये अवाप्त किया गया हो मात्र कथन किया गया है साथ ही पेरोकार राज के कथन अनुसार वाद भूमि पहले प्रतिवादीगण के पूर्वज और अब वादीगण के कब्जा में चली आ रही है जब तक यह साबित नही हो जाता या किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नही हो जाता की वाद भूमि मण्डी के लिये अवाप्त की गई थी और उसके बदले में मुआवजा या अन्य भूमि तबादले में दी जा चुकी है तब तक वादी प्रतिवादीगण को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है प्रतिवादीगण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसे बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित नही है अतः तनकी न0 2 साबित नही होने के कारण वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 3 :– आया कि वादी द्वारा पेश किया गया वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के द्वारा 88 ,188 के अन्तर्गत पेश किया जाना अंकित किया गया है जो वादी द्वारा पेश नही किया जा सकता है क्योकि धारा कृषि भूमि के अधिकारों की घोषणा हेतु कृषक द्वारा वाद पेश करना प्राविधित करती है न की किसी विभाग द्वारा कृषि भूमि को अकृषि भूमि घोषित करवाने बाबत वादी ना तो कृषक है ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिकनयम की धारा 5(43) की परिभाषा में कृषक है ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धरा 5(43) की परिभाषा में कृषक हो सकता है इसलिये ना ही वादी यह वाद पेश कर सकता है और ना ही ऐसे अनुतोष माननीय न्यायालय से प्रदान करने का अधिकार है वाद कानूनन विधि द्वारा वर्जित है तथा वाद वादी पोषर्णीय नही है इसका वाद पर क्या असर है ।? प्रतिवादी

वादी का कथन है वाद एक खातेदार काश्तकार अर्थात कृषक ही पेश कर सकता है विभाग कृषक नही है इसलिये राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत वाद पेश नही किया जा सकता है

यह सही है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के प्रावधानों के अनुसार कृषि भूमियो मे अपने अधिकारों की घोषणा करवाने हेतु कृषक के द्वारा वाद पेश किया जा सकता है हस्तगत प्रकरण में नगर निकाय ने प्रतिवादीगण की भूमि जिसे मण्डी में अवाप्त किया गया था को अपने नाम [illegible] गया है ना की खातेदारी अधिकारों की धोषणा करवाने का पेश किया गया है [illegible] कथन है कि भू0प्रबन्ध विभाग ने सहवन से विभाग की भूमि को प्रति[illegible] किया गया है जिसे अपने नाम दर्ज करवाने का पेश किया गया है सहवन हुई त्रुटि को संशोधन करने का वाद विभाग पेश कर सकता है विभाग सास्वत नाबालिग है जिसके हको की सुरक्षा के पीठासीन अधिकारी अपने हको के लिये संशोधन का वाद पेश कर सकता है तनकी न0 3 आशिक तौर से प्रतिवादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न0 4 आया वादी ने अपने वाद में कोई वाद कारण अंकित नही किया है इसलिये वादी को दावा लाने का कोई अधिकार नही या कॉज ऑफ एक्शन नही है इसका वाद पर क्या असर है ।?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य सबुत या कथन व्यक्त नही किया जिससे वादी को वाद पेश कोई कारण ना हो वादी ने मण्डी समिति के लिये अवाप्त की गई भूमियों को अपने नाम दर्ज करवाने का पेश किया गया है जिसका वादी को अधिकारी है व कारण भी प्रर्याप्त है यह तथ्य तो साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की वादी वाद भूमि पाने का अधिकारी है या नही या वाद भूमि मण्डी के लिये अवाप्त की गई थी या नही वादी का वाद लाने एव कॉल ऑफ एक्शन दोनो है इसलिये वादी वाद पेश करने की अधिकारीता रखता है। अतः तनकी न0 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 5 आया कि साबिका खसरा न0 714 की भूमि के बदले में प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता पूर्वजों को कही पर भी तबादलें में भूमि नही दी गई है तथा उपलब्ध रिकार्ड द्वारा खसरा न0 195 की बदले में चक 8 बारानी की 32.08 बीधा भूमि दिया जाना कही पर भी साबित नही है बस्तूत वादी उक्त तथाकथित तबादले के कपोल काल्यित आधार पर प्रतिवादीगण के विधिक अधिकारो का हनन करते उसकी बेध खातेदारी भूमि का हडपना चाहते है इसका वाद पर क्या असर है।?

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था वादी ने इस तनकी को साबित करने के लिये फर्द दस्तावेजात के अनुसार जमाबन्दीया /गिरदवारीया प्रस्तुत की गई है जिससे साबित है कि वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से पहले प्रतिवादीगण के पूर्वजो के कब्जा काश्त में थी जिसके फोत हो जाने पर वाद भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा मे चली आ रही है फर्द दस्तावेजात के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजात में किसी भी दस्तावेज में यह अंकित नही है कि वाद भूमि को मण्डी के लिये अवाप्त किया गया था ।

वादी ने भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो सके कि खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि को मण्डी के लिये अवाप्त किया गया था और तबादले में चक 6 बारानी में भूमि दी गई थी

वादी ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमाक 1291 दिनांक 13.09.1974 की और ध्यान आकर्षित किया गया है कि वाद भूमि के बदले में चक 6 बारानी की 32.08 बीधा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज को दी गई है किन्तु आदेश संख्या 1291 दिनांक 13.09.1974 केवल नामान्तकरण संख्या 29 दर्ज किया गया है जिसमें यह कही भी अंकित नही किया गया की खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि के बदले में चक 6 बारानी में भूमि दी गई है जबकि प्रतिवादीगण के पिता रूडखा आदि की अन्य भूमि जो खसरा न0 194 की 54.09 बीधा भूमि थी जिसे मण्डी के लिये अवाप्त किया गया था के बदले में चक 6 बारानी में 32.08 बीधा भूमि दी गई था का अंकन है जिसके लिये प्रतिवादीगण किसी प्रकार का क्लेम या विवाद नही है पैरोकार राज ने भी प्रतिवादीगण के उक्त कथन की पुष्टि की है कि आदेश संख्या 1291 दिनांक 13.09.1974 साबिका खसरा न0 194 की 54.08 बीधा भूमि के बदले में दी गई चक 6 बारानी की 32.08 बीधा के सम्बध में न की खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि के सम्बध में है।

साबिका खसर न0 714 की 21.[illegible] से हाल खसर न0 195 में पैमुद हुआ है जिसकी भूमि कुल 12.12 [illegible] सम्बध में कोई साक्ष्य नही है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया [illegible] सबुतो के अभाव में खसरा न0 195 की भूमि मण्डी के लिये अवाप्त नही की गई थी [illegible]नी जा सकती है।

तनकी न0 5 साक्ष्य सबूतो के अभाव में प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी न0 6– आया वादी किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है तथा वाद वादी वाद इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा संधारण योग्य नही है इसका वाद पर क्या असर है ।</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था उपरोक्त तनकीयात में साबित हो चुका है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि को मण्डी के लिये अवाप्त करने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है साक्ष्यो के अभाव में भूमि मण्डी के लिये अवाप्त होना नही माना जा सकता है अवाप्ती के अभाव में वादी वाद भूमि का किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही होना पाया जाता है अतः तनकी न0 6 प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

<u>तनकी न0 7 आया प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 195 की 12.12 बीघा वर्तमान रिकार्ड में प्रतिवादीगण रूडखां आदि के नाम से खातेदारी दर्ज है और लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा मण्डी समिति या स्थानीय निकाय नगरपालिका नोहर द्वारा कोई प्लाट नही काटे हुये है इसका वाद पर क्या असर है ।?</u>

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने फर्द दस्तावेजात अनुसार दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है जिसके अनुसार वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से साबिका खसरा न0 714 हाल खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है और वर्तमान में भी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है नगरपालिका द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण प्लाट आदि नही काटे गये है वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से लगातार कब्जा काश्त होने और वर्तमान में वाद भूमि कब्जा काश्त में रहने एव लगातार जमबान्दीयो / गिरदावारीयो में काश्त होने के कारण वादी खातेदार काश्तकार है वादी वाद भूमि अवाप्त करना साबित करने में नाकाम रहा है अतः तनकी न0 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी न0 8– आया श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 के द्वारा सबिका खसरा न0 194 की कुल 54.9 बीघा भूमि के बदले मे चक 6 बारानी में कुल 32.08 बीघा भूमि प्रतिवादीगण को तबादलें में मिलने की हद तक स्वीकार जो इन्तकाल संख्या 29 आबादी तबादलें दर्ज है किन्तु प्रश्नगत भूमि साबिका खसरा न0 714 की 21.10 बीघा भूमि हाल खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि मण्डी विकास समिति को अवाप्त हुई है के सम्बध में रिकार्ड उपलब्ध नही होने की सुरत में इस भूमि का बाबत दावा लाने का कोई लोटस स्टेण्डाई हासिल नही है इसका वाद पर क्या असर है ।</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एव पेरोकार राज के जबाब अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता रूडखां पुत्र अनवर खा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता असरफ खा पुत्र गुलजार खां की साबिका खसरा न0 714 की 54.09 बीघा भूमि थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों एव गिरदावारीयों से पूर्णत्या साबित है जिसे मण्डी विकास समिति से द्वारा अवाप्त किया गया था जिसके बदले में प्रतिवादीगण के पूर्वजों को रोही मौजा चक 6 बारानी में 32.08 बीघा भूमि आवटन की गई थी जो आदेश संख्या 1291 दिनांक 13.09.1974 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश में नामान्तकरण संख्या 29 आबादी तबादला दर्ज किया गया था किन्तु साबिका खसरा न0 21.10 बीघा खाम जो वर्तमान खसरा न0 195 की 12.12 बीघा मे पैमुद की गई थी को अवाप्त किया गया था के सम्बध में कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया।

भूमि अवाप्ति की [illegible] है जिसके लिये पत्रावली का संधारण किया जाकर विधिवत सुनवाई उपरान्त [illegible]रित किया जाकर भूमि अवाप्त /अधिग्रहण की कार्यवाही की जाती है [illegible] कार्यवाही नही है।

खसरा न0 195 की 12.12 बीघा [illegible] सम्बध में किसी प्रकार की अवाप्त होने की कार्यवाही की जाती तो कोई तो ऐसा दस्त[illegible] होना चाहिये जिससे यह साबित हो सके की खसरा न0 195 की 12.12 बीघा भूमि को मण्डी के लिये अवाप्त किया गया था किन्तु वादी के द्वारा ऐसा एक भी दस्तावेज पेश नही किया जिससे खसरा न0 195 की भूमि मण्डी के लिये अवाप्त कार्यवाही या अवाप्त की गई हो ना ही कोई भी जमाबन्दी /गिरदावरी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

अवाप्त करने के सम्ब्ध मे कोई नोट अंकन है उक्त कथनो की पुष्टि पेरोकार राज का जबाव करता है पेरोकार राज ने भी माना है खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि के सम्बध में अवाप्ती से सम्बधित कोई दस्तावेज नही है दस्तावेज साक्ष्य के अभाव में भूमि अवाप्त करना नही माना जा सकता है।

वाद भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1955 लागू होने के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान में भी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों व गिरदावारियों से पूर्णत्या साबित है नगर निकाय का उक्त भूमि पर कब्जा भी नही रहा है ना ही वर्तमान में है। अतः साक्ष्य सबुतों के अभाव में तनकी न0 8 प्रतिवादीगण के पक्ष मे साबित की जाती है।

तनकीवार विवेचन से साबित हो चुका है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता व रूडखां पुत्र अनवर खां व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पिता असरफ खां पुत्र गुलजार खां की साबिका खसरा न0 194 की 54.09 बीधा भूमि थी जिसे मण्डी ने अवाप्त किया गया था जिसके बदले में चक 6 बारानी मे 32.08 बीधा भूमि दी गई थी जो श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश क्रमांक 1291 दिनांक 13.09.1974 की पालना में नामान्तकरण संख्या 29 से आबादी के रूप में दर्ज किया गया था जिसके सम्बध में प्रतिवादीगण के द्वारा कोई प्रतिरोध /ऐतराज पेश नही किया गया है।

किन्तु साबिका खसरा न0 714 की 21.10 बीधा खाम हाल खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागू होने के समय से पूर्व से ही पहले प्रतिवादीगण के पूर्वजो के कब्जा काश्त में थी अब वर्तमान में प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयो/गिरदावारीयों से साबित है।

साबिका खसरा न0 714 हाल खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि को मण्डी के लिये अवाप्त किया गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य वादी के द्वारा पेश नही किया गया है जिससे उक्त भूमि के सम्बध में अवाप्ती की कार्यवाही की गई हो मात्र कथन किया गया है जो वाद को साबित करने के नाकाफी/अप्राप्त है।

जिस प्रकार खसरा न0 194 की भूमि की अवाप्ती की गई थी जिसके साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है उसी प्रकार खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि के भी साक्ष्य पेश किये जाने आवश्यक है साक्ष्य सबुतों के अभाव में यह न्यायालय वादी को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वाद भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के कब्जा मे जिसके प्रर्याप्त साक्ष्य जमाबन्दी /गिरदावारीया प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत की गई है वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे वाद भूमि पर मौके पर नगर पालिका द्वारा कोई सडक/प्लाट या किसी प्रकार को नगर विकास का डिजाईन किया गया हो।

रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा न0 195 की 12.12 बीधा भूमि के सम्बध में अवाप्ती की कार्यवाही किये जाने के सम्बध में या भूलवंश प्रतिवादीगण के ना दर्ज हो गई है के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही किये गये जबकि प्रतिवादीगण ने वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागु होने से पूर्व से कब्जा काश्त में होने के पर्याप्त दस्तावेजत पेश किये गये है किसी भी दस्तावेज में भूमि अवाप्त करने का नोट अंकित नही है भूमि अवाप्त किये जाने के साक्ष्यों सबुतों के अभाव में तथा वादी अपने वाद का साबित करने में नाकाम रहने के कारण वाद वादी खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/07/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नगरपालिका नोहर जिला हनुमानगढ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2 रहीमबक्स पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी नोहर(फोत)

1/1. हकीमन पत्नी रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/2. आमीन खां पुत्र रहिमबक्स (फोत)

1/2/1. रजिया पत्नी आमीनखा जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/2/2. मो. अयुब पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/2/3. मकसुद अली पुत्र आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/2/4 फरजाना पुत्री आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/2/5 शबनम पुत्री आमीन खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/3 मोहम्मद युनिस पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/4. मोहसीन खां पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/5 नूरबेगम पुत्री रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/6 अकबर पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/7 बतुल पुत्री रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/8 असगर खा पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/9 असलम खां पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

1/10 कमर हुसैन पुत्र रहिमबक्स जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

3. इब्राहिम खां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

2/1 रूकिया पत्नी ईब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

2/2 युसफ पुत्र इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

2/3 आमीना पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

2/4 सकीना पुत्री इब्राहिम [illegible] मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

2/5 परवीना पुत्री [illegible] जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

2/6 समीम पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

2/7 शकीला बानों पुत्री इब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
2/8 खतीता बानों पुत्री ईब्राहिम खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1 रजाक खां पुत्र असरफ खां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1/1 बशीरा पत्नी रजाकखां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1/2 शकीना पुत्री रजाक खां पुत्र रूडखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1/3 जरीना पुत्री रजाक खां पुत्र रूड खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1/4 श्योकत अली पुत्र रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1/5 आजम अली पुत्र रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1/6 रोशन अली पुत्र रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
3/1/7 नजमा पुत्री रजाक खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
4. नवाब खां पुत्र असरफ खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
5. सफी मोहम्मद पुत्र असरफ खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 33 नोहर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1275 सन 2021 निर्णय दिनांक– 14/07/25

आज यह वाद मुझ पंकज गढवाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी /प्रतिवादीगण /पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/07/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested